

संख्या 4/11/2019-सीएस-1 (घ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


द्वितीय तल, लोक नायक भवन
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 6 अगस्त, 2019

आदेश

श्री ए.के. दास, उप सचिव (तदर्थ) (सीएसएल सं. 6545) को एतद्वारा उनके 17.5.2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यमुक्त होने के बाद इयूटी पर उनके रिपोर्टिंग करने पर तत्काल प्रभाव से रक्षा मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

2. उक्त अधिकारी के इस विभाग में तैनाती के अधीन रहने की अवधि अर्थात् दिनांक 17.5.2019 (अपराहन) से इस आदेश के जारी होने तक की अवधि को "अनिवार्य प्रतीक्षा" के रूप में माना जाएगा।

3. श्री दास को वेतन का भुगतान उनके दिनांक 17.6.2019 के पत्र सं. 21/3750/2016-पीएमई के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जून, 2019 तक किया गया है। अधिकारी को शेष अवधि के लिए वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।


(के. श्रीनिवासन)

अवर सचिव, भारत सरकार
फैक्स: 24629413

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. रक्षा मंत्रालय, संयुक्त सचिव (प्रशा.), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली (श्री दास 06.06.2019 से 07.06.2019 तक आकस्मिक अवकाश पर थे।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, (सुरजीत दत्त, अवर सचिव), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. अवर सचिव (यू/सीएससीएमएस)/अवर सचिव (एपीएआर), डीओपीटी।
5. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), डीओपीटी।